

राजनीतिक दल प्रणाली

राजनीतिक दल प्रणाली

समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के समूह राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिये स्वेच्छा से संगठित होते हैं। संवैधानिक तरीकों से, राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने का लक्ष्य

- ▶ तीन प्रकार की पार्टियाँ प्रणालियाँ: एक पार्टी (चीन), दो पार्टी (यूएसए), बहुदलीय (भारत)
- ▶ भारत में पार्टियाँ:
 - ▶ राष्ट्रीय (6): जैसे आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), बहुजन समाज पार्टी (बसपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआई-एम) और नेशनल पीपुल्स पार्टी
 - ▶ राज्य: जैसे द्रमुक, अन्नाद्रमुक, तेलुगु देशम, शिव सेना, असम गण परिषद, मिज़ो नेशनल फ्रंट आदि।
- ▶ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य दलों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में उपयोग के लिये विशेष रूप से आरक्षित एक प्रतीक आवंटित किया गया है।

राष्ट्रीय पार्टी मान्यता के लिये मानदंड

- ▶ लोकसभा (एलएस)/विधान सभा (एलए) के आम चुनाव (जीई) में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में डाले गए वैध वोटों (वीवी) का 6% सुरक्षित करता है + यह एक या अधिक राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है।
- ▶ यदि वह जीई में लोकसभा में 2% सीटें जीतती है (3 राज्यों से)।
- ▶ यदि इसे 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

राज्य पार्टी मान्यता के लिये मानदंड

- ▶ यदि यह राज्य में जीई से एलए+ तक मतदान किए गए वीवी का 6% सुरक्षित करता है तो यह संबंधित राज्य के एलए में 2 सीटें जीतता है; या
- ▶ यदि यह संबंधित राज्य से जीई से एलएस तक राज्य में मतदान किये गए वीवी का 6% सुरक्षित करता है + तो यह संबंधित राज्य से एलएस में 1 सीट जीतता है; या
- ▶ यदि वह संबंधित राज्य के एलए में जीई में एलए में 3% सीटें जीतता है या एलए में 3 सीटें, जो भी अधिक हो; या
- ▶ यदि यह संबंधित राज्य से एलएस को जीई में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी अंश के लिये लोकसभा में 1 सीट जीतता है; या
- ▶ यदि यह राज्य में जीई से एलएस या राज्य के एलए में राज्य में मतदान किये गए कुल वीवी का 8% सुरक्षित करता है।

